



सहकारिता विभाग

एक सब के लिए, सब एक के लिए

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

रबी 2022-23

अधिसूचित फसलें



योजना की प्रमुख विशेषताएँ :-

ऑनलाइन आवेदन करने में आवश्यकतानुसार विभागीय कॉल सेंटर एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता।

1

रेयत एवं गैर रेयत तथा आंशिक रूप से रेयत एवं गैर रेयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए।

2

रबी मौसम के सभी प्रमुख फसलें यथा - गेहूँ, खीमकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, राई-सरसों, आलू एवं प्याज

3

निःशुल्क आवेदन प्रक्रिया।

4

7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)।

5

10000 रु प्रति हेक्टर (20% से अधिक क्षति होने पर)

6

रबी - 2022-23 हेतु निम्न में से किसी भी एक माध्यम से आवेदन कर सकते हैं :-

- सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल - <https://state.bihar.gov.in/cooperative>
- मोबाइल पोर्टल ई-सहकारी मोबाइल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है)
- कॉल सेंटर (सुगम) पर फोन के माध्यम से - (टोल फ्री नं 0 - 18001800110)

आवेदन की अवधि - 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक निर्धारित है।

► आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकवा की जानकारी देनी है।

• अधिक जानकारी के लिए - <https://state.bihar.gov.in/cooperative> अथवा कॉल सेंटर (सुगम) टोल फ्री नं 0 - 18001800110 पर संपर्क करें।

योजनान्तर्गत आवेदन एवं सहायता राशि के भुगतान की आसान प्रक्रिया :-

- कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदन विभागीय ई-सहकारी पोर्टल के अतिरिक्त ई-सहकारी मोबाइल एप्प, आई.भी.आर.एस. (सुगम) कॉल सेंटर (टोल फ्री नं 0 - 18001800110) एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/कार्यपालक सहायक के तकनीकी सहयोग से किया जा सकेगा।
- आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकवा की जानकारी देनी है।
- फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के चयन के पश्चात उन चयनित ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों को निमानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी :-

रेयत किसान	गैर रेयत किसान	रेयत एवं गैर रेयत दोनों श्रेणी के किसान
1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत) 2. स्व घोषणा-पत्र	1. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अध्यक्ष किसान सलाहकार द्वारा प्रतिवर्तीत) 2. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अध्यक्ष किसान सलाहकार द्वारा प्रतिवर्तीत)	1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत) 2. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अध्यक्ष किसान सलाहकार द्वारा प्रतिवर्तीत)

- योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBT के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान।

- नोट :-**
- एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
 - योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान।
 - नगर पंचायत / नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य।